पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 111/2019

अनवान :

1. रामेश्वर पुत्र अमीलाल जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. संतलाल पुत्र अमीलाल जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. जुगलकिशोर पुत्र अमीलाल जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. लिछमा पुत्री अमीलाल जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. मैना पुत्री अमीलाल जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. गुड्डी पुत्री अमीलाल जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
7. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टेण्ड भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) जरिऐ बैंक मैनेजर
8. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार (राजस्व), भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 6 श्री प्रभु गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही रासलाना के खाता सं0 7/5 में खसरा नं0 36/2 की 1.6690 है0, खसरा नं0 199/2 की 1.9980 है0, खसरा नं0 233/2 की 3.794 है0, बारानी कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के नाम खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामेश्वर 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 संतलाल 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 जुगलकिशोर 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ता 6 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि भारतीय स्टेट बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी रामेश्वर के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 संतलाल के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 जुगलकिशोर के नाम 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खसरा सं0 471/209 की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 111/2019

अनवान :

1. रामेश्वर पुत्र अमीलाल जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– **वादी**

बनाम

1. अमीलाल पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. संतलाल पुत्र अमीलाल जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. जुगलकिशोर पुत्र अमीलाल जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. लिछमा पुत्री अमीलाल जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. मैना पुत्री अमीलाल जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. गुड्डी पुत्री अमीलाल जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
7. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टेण्ड भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) जरिऐ बैंक मैनेजर
8. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार (राजस्व), भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : वादी

वकील श्री प्रभु गोदारा : प्रतिवादी सं0 1 ता 6

निर्णय **दिनांक :** 20-01-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही रासलाना के खाता सं0 7/5 में खसरा नं0 36/2 की 1.6690 है0, खसरा नं0 199/2 की 1.9980 है0, खसरा नं0 233/2 की 3.794 है0, खसरा सं0 471/209 की 0.7590 है0 बारानी कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 प्रतिवादी अमीलाल के पुत्र पुत्री है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है। वाद भूमि अमीलाल को विरासतन अपने पिता भूराराम से प्राप्त हुई है। वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

भी जन्म से हक निहित है। प्रतिवादी अमीलाल परिवार का कर्ता होने के कारण भूमि तन्हा प्रतिवादी अमीलाल के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। प्रतिवादी सं0 4 ता 6 लिछमा, मैना, गुड्डी वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 की सगी बहने है। प्रतिवादीया सं0 4 ता 6 वर्तमान में अपने अपने ससूराल में आबाद है। प्रतिवादीया लिछमा मैना व गुड्डी ने वाद भूमि में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा आज से दो वर्ष पूर्व वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हक में त्याग कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया था। इसलिए वाद भूमि में वादी रामेश्वर 2/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल 1/7 हिस्सा, संतलाल 2/7 हिस्सा, जुगलकिशोर 2/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार वाद भूमि को काश्त करते चले आ रहे है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 7 व 8 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रामेश्वर पुत्र अमीलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रति जमाबन्दी ग्राम रासलाना खाता सं0 7/5 सम्वत् 2075 से 78 प्रदर्श 1, फोटो प्रति जमाबन्दी खतौनी ग्राम रासलाना सम्वत् 2038 से 41 प्रदर्श 2, सत्यप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम रासलाना प्रदर्श 3 व 4 प्रदर्शित करवाये व वारिस प्रमाण पत्र पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद में वादी ने ग्राम रासलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति होना व वाद भूमि वादी के पिता अमीलाल को विरासतन अपने पिता भूराराम से प्राप्त होना एवं वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति जमाबन्दी खतौनी ग्राम रासलाना सम्वत् 2038 से 41 प्रदर्श 2, सत्यप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम रासलाना प्रदर्श 3 व 4 प्रदर्शित करवाये है जिसमें प्रदर्श 2 खतौनी जमाबन्दी में वाद भूमि वादी के दादा भूरा वल्द पीथा के नाम खसरा नं0 36, 199, 233 अंकित है। इस प्रकार वाद वादी वर्तमान जमाबन्दी के इन तीन खसरों क्रमशः खसरा सं0 36/2, 199/2, 233/2 की हद तक वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण में अमीलाल के वारिसान में पत्नि मोहनी देवी, तीन पुत्र रामेश्वर, सन्तलाल, जुगल किशोर व तीन पुत्रियां गुड्डी, मैना, लिछमा होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही रासलाना के खाता सं0 7/5 में खसरा नं0 36/2 की 1.6690 है0, खसरा नं0 199/2 की 1.9980 है0, खसरा नं0 233/2 की 3.794 है0, बारानी कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के नाम खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामेश्वर 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 संतलाल 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 जुगलकिशोर 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ता 6 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि भारतीय स्टेट बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी रामेश्वर के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 संतलाल के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 जुगलकिशोर के नाम 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खसरा सं0 471/209 की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 16:32:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: